



YOUTH SOCIAL CARE FOUNDATION SANSTHAN

D-30, Flat no. 5-6, A.R.Appartment, Radha Vihar, New Sanganer Road, Sodala,
Jaipur Rajasthan 302006

*CEM - 1057
20/02/20*
Upload on website also
29/2
21/2/20
20/2
AAO
20/2/2020

TO,
The Commissioner,
Rajasthan housing board
Jaipur

Subject :- Application for land allotment for Hospital

Dear sir ,

I am writing on behalf of "YOUTH SOCIAL CARE FOUNDATION SANSTHAN" to express the sansthan interest in land for hospital located at "SHIPRA PATH ,MANSAROVER" .This investment will not be beneficial to our sansthan but it will benefit the community.

Kindly grant land allotment letter to our "YOUTH SOCIAL CARE FOUNDATION SANSTHAN" .We are willing to schedule a meeting to discuss the terms and condition for land allotment.

Look forward to your positive reply

Sincerely,

Rakesh Bhushan Gupta
Rakesh Bhushan Gupta
(Treasurer)
9829482994



चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु
प्रार्थना-पत्र

क्र.स.	विवरण	आवेदक/संस्था द्वारा
1	संस्था/संगठन का नाम	श्रुव लोशियल डेयर फाउंडेशन
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	रमेश श्रुषण गुप्ता
3	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. एव मेल आई.डी.	D-30, F-6, ए.आर. अपार्टमेंट राधा विहार, नू सांगानर रोड
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	मानसरोवर
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	4000 वर्ग मीटर
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	नही
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii- बाईलॉज रेग्युलेशनस	संलग्न
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट	संलग्न
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi- रुपये 5000 + 900 GST सहित (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक डी.डी. / पे-ऑर्डर जो सम्बंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाधु अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	डी.डी. नं. - 291331 IndusInd Bank संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 19/02/2020

स्थान : Jaipur



परिशिष्ट-1'

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	शिप्रा पब्ल, मानसरोवर
आवेदनकर्ता संस्था के राजस्व शासन की दिनांक व अन्य विवरण	संलग्न
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक सहायता का विवरण।	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं.

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न वर्गों को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोमस क्या प्रमाण पत्र मूल में कम्पि इन्फो एक्टर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नही
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	-
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	-
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	-
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	-
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	अन्दर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संलग्न
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नही
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य विदेशी संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नही
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	समाज के पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर चिन्ता सुनिश्चित करने के लिए।
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	-
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	-
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	-
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नही
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015



राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 56 जयपुर/2012-13

यह प्रमाणित किया जाता है कि यूथ सोशियल केयर फाउण्डेशन संस्था, झोटवाडा जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 19 माह अप्रैल सन् दो हजार 2012

को जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारिता युवा फाउण्डेशन लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

